राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(10)ग्रावि / नरेगा / ग्रारोस / 2015 जयपुर, दिनांक 26 MAR 2015

प्रमुख शासन सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में लगाये जाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मण्डल ने इस विभाग को अवगत करवाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा के आधार पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में लगाया जाता है तथा इन्हें इस हेतु नियमानुसार निर्धारित भत्ता भी नहीं दिया जाता है।

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि उक्त कार्मिक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त अल्पवेतन भोगी संविदा कार्मिक है। उक्त कार्मिक राज्य कर्मचारी नहीं है। अतः योजनान्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों से यथासंभव निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य करवाया जाना उचित नहीं है। यदि कार्य करवाया जाना आवश्यक हो तो इन्हें नियमानुसार भत्ता / मानदेय दिलवाये जाने का श्रम करें।

भवदीय,
26/3/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

26/3/15
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस